

# स्थाई प्रमाण-पत्र

परिशिष्ट "तीन"  
(निर्देश क्र. 8 (1) देखें)

## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग भाण्डेर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक .....

प्रमाण पत्र क्रमांक .....

प्रकरण क्रमांक 25  
3-84  
3121

## जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र सिंह  
आत्मज श्री कृष्ण नारायण सिंह निवासी/ग्राम भाण्डेर  
जिला/संभाग दतिया/ग्वालियर मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जो कौरव (का) जाति के हैं,  
जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, अनुसूचित-जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग  
की अधिसूचना क्र. एफ. 8-5/पच्चीस /4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है.

श्री नरेन्द्र सिंह और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश  
के जिला दतिया संभाग ग्वालियर में निवास करता है

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण नारायण सिंह क्रीमीलेयर  
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं  
प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93/ स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के  
कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1/ आ.प्र.,  
दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कालम (3) में किया गया.

### \* आय प्रमाण-पत्र \*

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी नरेन्द्र सिंह के  
परिवार की कुल वार्षिक आय रु पये 36,000/- है।

दिनांक 25-11-93

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

(सील)

अनुविभागीय अधिकारी  
पदनाम  
परगना भाण्डेर, जिला-दतिया

*Handwritten signature and stamp*  
OFFICE OF THE  
DISTRICT OFFICER  
COMMUNITY DEVELOPMENT CENTRE  
BHANDER, DATIA (M.P.)

कार्यालय

क्रमांक :-

नेहरूनगर नेहरूलहापुर दारिशा (म०प्र०)

405/104/05/112

दिनांक 17/8/09

## स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी नरेंद्र सिंह कोरव  
आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री कृष्ण नारायण सिंह कोरव ग्राम कला भाण्डर  
तहसील भाण्डर जिला दारिशा म०प्र० का/की निवासी है।

क्योंकि वह :-

- (1) मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है अथवा
- (2) वह/पालक/वैद्य अभिभावक म.प्र. में निरंतर कम से कम 99 वर्ष से रह रहा है, अथवा
- (3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अथवा  
केन्द्रीय शासन का कर्मचारी, जो मध्य प्रदेश में सेवारत है, अथवा सेना सेवा का अधिकारी/कर्मचारी या  
भूतपूर्व सैनिक हो, अथवा
- (4) वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।
- (5) म.प्र. में संविधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया हो, अथवा

इसके अतिरिक्त :-

- 1- उसने म.प्र. में किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त की हो, अथवा
- 2- म.प्र. के स्थानीय निवासी के बच्चों द्वारा यदि म.प्र. के बाहर की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण की हो को छूट प्राप्त होगी वशत वह निर्धारित उक्त शर्तों की शर्त क्रमांक 2 की पूर्ति करता हो, अथवा  
आवदेक अंध, मूक, बधिर, है और उसने किसी अन्य प्रदेश से शिक्षा ग्रहण की हो, अथवा
- 3- उसने म.प्र. में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है :-  
 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा  
 आठवीं कक्षा की परीक्षा  
 चौथी कक्षा की परीक्षा

C.S.  
प्रमाणित अधिकारी  
पद नाम एवं पदमुद्रा

टीप : 1- जो अंश लागू न हो उसे काट दिया जाये।

2- प्रमाण-पत्र देने हेतु नायब तहसीलदार या उससे ऊपर के राजस्व अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।

Dr. R. S. Prasad  
MUNICIPAL OFFICER  
MUNICIPALITY CENTRE  
BHANDAR, DARIASHA